Appendix-C

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

विषय : शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु "स्थानीय निवासी" प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण।

राज्य के व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में स्थानीय निवासियों को ही नामांकन की सुविधा प्राप्त होती है, जो संविधान एवं विधि सम्मत है, परन्तु नवगठित झारखंड राज्य में "स्थानीय निवासी" पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होने के कारण कठिनाईयाँ आ रही है।

2. उपरोक्त संदर्भ में "स्थानीय निवासी" को परिभाषित करने संबंधी प्रश्न माननीय राँची उच्च न्यायालय में डब्लू० पी० (पी0आई0एल0) संख्या–586/2002 में उठाया गया है, जिसमें अंतरिम आदेश पारित है कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र नीति निर्धारित करे।

3. "स्थानीय निवासी" से संबंधित राज्य की स्पष्ट नीति निर्धारित करने के पूर्व कुछ राज्यों–यथा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश–से उन राज्यों में लागू नीति से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित की गई एवं उनका तुलनात्मक विवेचन किया गया। इसी संदर्भ में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा "स्थानीय निवासी" की परिभाषा, जो बिहार में प्रचलित परिभाषा पर आधारित है, की भी समीक्षा की गई।

4. राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं की सम्यक् समीक्षा एवं समुचित विचारोपरान्त, झारखंड राज्य में "स्थानीय निवासी" की परिभाषा निम्न रूप से निरूपित करने का निर्णय लिया गया है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लागू नीति पर आधारित है। इसके तहत उसी व्यक्ति को स्थानीय निवासी माना जायेगा, जो :–

(i) झारखंड में पैदा हुआ हो, अथवा

(ii) (क) वह, अथवा
(ख) उसके पालकों (Parents) में से कोई, अथवा
(ग) उसके पालकों (Parents) में से कोई जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) झारखंड में निरंतर कम–से–कम 15 वर्ष से रह रहा हो, अथवा

(iii) उसके पालकों (Parents) में से कोई भी :–
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत कर्मचारी हों, अथवा
(ख) जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी हो, और प्रतिनियुक्ति पर झारखंड राज्य में या झारखंड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों का कर्मचारी हो, अथवा

(iv) (क) वह स्वयं, अथवा
(ख) उसके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखंड में पिछले 5 वर्षो से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखता हो,

(v) परन्तु, उपरोक्त के अतिरिक्त :–

(अ) उसने अपनी शिक्षा झारखंड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम–से–कम 7 वर्षो तक प्राप्त की हो, अथवा

(ब) उसने झारखंड में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :

(i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गयी हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा,

(ii) यदि किसी संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा

(iii) अन्य मामलों में चौथी कक्षा की परीक्षा,

(vi) इसके अतिरिक्त झारखंड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी प्रदेश की स्थानीय निवासी माने जायेंगे।

(vii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी को भी प्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा।

(viii) छात्र का पिता यदि मूल निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झरखंड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो उसके पुत्र/पुत्री को झारखंड का मूल निवासी माना जायेगा, भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं की हो। यह सुविधा केवल सैनिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(ix) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए व्यवसायिक कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण–पत्र में छूट अनुमान्य होगा।

(x) कश्मीर से आये हुए विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन प्रयोजनों के लिए जिनके संबंध में झारखंड के मूल निवासी होने की शर्त्त की पुष्टि होनी चाहिए, उससे इन परिवारों को मुक्त रखा जायेगा।

(xi) जिसके पालकों (Parents) में से कोई झारखंड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों,

(xii) झारखंड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायक/पूर्व पार्षद एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में झारखंड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियाँ हों।

5. शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु "स्थानीय निवासी" प्रमाण–पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जायेगा जो किसी अन्य राज्य के "स्थानीय निवासी" प्रमाण–पत्र से आच्छादित न हों।

6. झारखंड स्थित तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिला के लिए पूर्व में जो भी निर्णय अथवा नीति लागू है वह आलोच्य संकल्प के निर्गत होने की तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यह संकल्प विशेष रूप से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा घोषित आवासीय

श्रेणी संबंधी न्यूनतम योग्यता के परिप्रेक्ष्य में संगत होगा, परन्तु यदि झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा पूर्व में Brochure निर्गत कर दिया गया हो और आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षा की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हो तो वह इस नीति से प्रभावित नहीं होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखंड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/ अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
अस्पष्ट
(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या : 5/विविध–09/2001 (डोमिसाईल) का0 2691/राँची, दिनांक 29/4/02 ई०।

प्रतिलिपि – अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें।

अस्पष्ट
(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या: 5/विविध–09/2001 (डोमिसाईल) का० 2691/राँची, दिनांक 29/4/02 ई०।

प्रतिलिपि – राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विश्वविद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अस्पष्ट
(एस० के० चौधरी)
सरकार के सचिव।